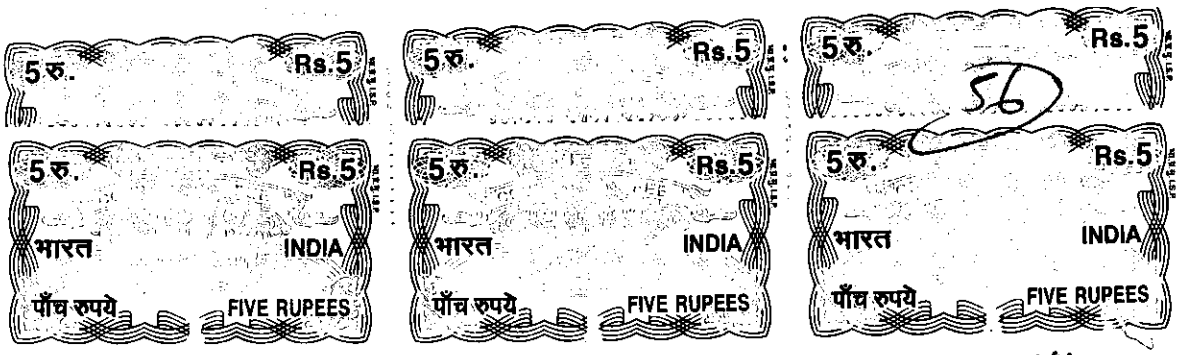

5 रु. Rs.5 5 रु. Rs.5 5 रु. Rs.5
5 रु. Rs.5 5 रु. Rs.5 5 रु. Rs.5
भारत INDIA भारत INDIA भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

56

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

R- 3753 I-16

पन्नालाल तनय करी यादव,

निबासी– ग्राम हटा, तहसील वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़,

.............**आवेदक**

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार वल्देवगढ़ .... **अनावेदक**

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 मू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 40/अ6अ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2016 से परिवेदित होकर कर रहा है, जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक के भाई रामसेवक तनय करी यादव को नायव तहसीलदार वल्देवगढ़ द्वारा प्र0क0 91/अ–19/1995–96 में पारित आदेश के द्वारा पटटा बर्ष 1994–95 में दखल रहित अधिनियम के तहत खसरा नंबर 1866 का ग्राम हटा, प0ह0नं0 50 में 1.00 हैक्टेयर का पटटा प्रदाय किया गया था। पटटादार रामसेवक का वाद भूमि पर काबिज रहते हुये ही दिनांक 02/10/2010 को स्वर्गवास हो चुका है, रामसेबक परिवार के संचारलक थे, उनके द्वारा अपने जीवन काल में कई बार बताया कि यह भूमि उन्हे पटटा पर प्राप्त होकर उनके नाम पर दर्ज है। तभी से रामसेवक एवं उसके वाद आवेदक उपरोक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। आवेदक द्वारा काफी श्रम एवं लागत लगाकर उपरोक्त भूमि को कृषि योग्य बना लिया है। जिस पर वह कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। रामसेवक ला औलाद थे उनके एक मात्र वारिस आवेदक ही है, जो कि रामसेवक की मृत्यु के उपरांत उस पर मालिक व काबिज है।

3– यह कि रामसेबक की मृत्यू के उपरांत जब आवेदक द्वारा उपरोक्त भूमि पर नामांतरण कराने वावद पटवारी से संपर्क किया, तो पटवारी द्वारा बताया गया कि

राजेन्द्र पटेरिया (एड.)
बार रूम क्र. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि०- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

राजेन्द्र पटेरिया एड0 सागर 9425451002

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3753 /I/2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **पन्नालाल यादव वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.11.16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार वृत डारगुंवा, तहसील वल्देवगढ़ द्वारा प्र0क0 40/अ6अ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2016 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदक की ओर से बिद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा अपने तर्कों में बताया कि, आवेदक के भाई रामसेवक तनय करी यादव को नायब तहसीलदार कुड़ीला, तहसील वल्देवगढ़ द्वारा प्र0क0 91/अ–19/1995–96 में पारित आदेश के द्वारा पटटा बर्ष 1994–95 में म0प्र0 दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत ग्राम हटा, प0ह0नं0 50 में खसरा नंबर 1866 का 1.00 हैक्टेयर का पटटा प्रदाय किया गया था। पटटेदार रामसेवक का वादभूमि पर काबिज रहते हुये ही दिनांक 02/10/2010 को स्वर्गवास हो चुका है। रामसेबक परिवार के संचालक थे, उनके द्वारा अपने जीवन काल में कई बार बताया कि यह भूमि उन्हे पटटा पर प्राप्त होकर उनके नाम पर दर्ज है। तभी से रामसेवक एवं उसकी मृत्यु के बाद आवेदक उपरोक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। आवेदक द्वारा काफी श्रम एवं लागत लगाकर उपरोक्त भूमि को कृषि योग्य बना लिया है। जिस पर वह कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। रामसेवक ला औलाद थे, उनके एक मात्र वारिस आवेदक ही है, जो कि रामसेवक की मृत्यु के उपरांत उस पर मालिक व काबिज है। रामसेबक की मृत्यु के उपरांत जब आवेदक द्वारा उपरोक्त भूमि पर नामांतरण कराने वावद पटवारी से संपर्क किया, तो पटवारी द्वारा बताया गया कि वादभूमि पर रामसेबक का नाम दर्ज न होकर म0प्र0 शासन दर्ज है। तो आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार	

वल्देवगढ़ के समक्ष आवेदनपत्र पटटा कंप्यूटर अभिलेख में दर्ज करने वावद प्रस्तुत किया गया। जिसको उनके द्वारा उपरोक्त प्रकरण कमांक पर दर्ज करके दिनांक 28/09/2016 को अदम पैरवी में निरस्त कर दिया। जिस कारण आवेदक यह निगरानी प्रस्तुत करने को मजबूर होना पड़ा।

3— आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार आवेदक को उपरोक्त प्रकरण कमांक पर भूमिस्वामी अधिकार पटटा प्रदाय किया गया था। जिसके संबंध में आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसमें पटवारी द्वारा बताया गया है कि वादभूमि पर आवेदक पन्नालाल का 30—40 साल पुराना कब्जा है, जिसका पटटा उसके भाई रामसेवक को प्रदान किया गया था। रामसेवक की मृत्यु के उपरांत उपरोक्त भूमि पर आवेदक ही काबिज है, वही रामसेवक का वारिस है। निगरानी के साथ रामसेवक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रामसेबक की मृत्यु 02/10/2012 को हो चुकी है। आवेदक द्वारा अपने दो शपथपत्र भी निगरानी के समर्थन में प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें उसके द्वारा पटटा बनने एवं रामसेबक के ला औलाद मृत्यु के उपरांत उसके अकेले वारिस होने का लेख है। आवेदक पटटाधारी रामसेवक का भाई है, निगरानी के साथ संलग्न पंचनामा से भी उपरोक्त तथ्य की पुष्टि होती है। निगरानी के साथ बर्तमान खसरा की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई है। जिसमें बर्तमान में वादभूमि शासकीय दर्ज है, जो आवेदक के नाम से दर्ज की जाना न्यायहित में है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, नायब तहसीलदार द्वारा पारित उपरोक्त आदेश निरस्त किया जाता है, तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त वादभूमि पर आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में कंप्यूटर/राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाबे। उभयपक्ष सूचित हों , प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य